

पृष्ठ-8

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजरामन्द जिला राजरामन्द
(पीठारीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) केम्प शिवरा

—: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी शिवरा
च भू.अ.नि. कोटडी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार रेलमगवा / नायब
तहसीलदार गिल्लुएस की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-सूजस्व अधिनियम
1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम सावलिया खेडा तहसील रेलमगवा व
जिला राजरामन्द की जमाबन्दी संवत् 2077 में खाता संख्या 42 में
वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल
दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1.	सावलिया खेडा	42	रतनलाल पुत्र वेणीराम की वाकि हिस्सा $\frac{1}{6}$ (पूर्वका) S.B.B.J. शाखा शिवरा	रतनलाल पुत्र वेणीराम की वाकि हिस्सा $\frac{1}{6}$ (पूर्वका) SBI शाखा शिवरा

5/

उपखण्ड अधिकारी

लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,

क्रमांक:-

437

प्रतिलिपि :-

दिनांक :- 18/10/25

1. तहसीलदार को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावें।
2. प्रार्थी श्री को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी

लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,